P-46

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संख्याः एफ.डी.एस.–बी0 (3)–1/2018 तारीख, शिमला–2, 29 जून, 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कम्पयूटर प्रोग्रामर, वर्ग–II (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं; अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कम्पयूटर प्रोग्रामर, वर्ग–II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

Supdt. Gr. I

JD(A)
2/7

आदेश द्वारा,
मनोज कुमार
अतिरिक्त मुख्य सचिव(खा0ना0आ0एवंउ0मा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः एफ.डी.एस.–ए(3)–8/97 तारीखःशिमला–171002, 29 जून, 2020.

प्रतिलिपि प्रेषित हैः–

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला–1 को उनके पत्र संख्या 1–5/2017 पी0एस0सी0–पार्ट दिनांक 27–02–2020 के संदर्भ में नियमों की एक प्रति सहित सूचनार्थ।
2. निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0, शिमला–9
3. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव(विधि–राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

29-06-2020

(सुरेश चन्द डोगरा)
अवर सचिव(खा0ना0आ0एव उ0मा0)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
फोन नं0 2880850

प्र४७

उपाबन्ध –"क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कम्पयूटर प्रोग्रामर, वर्ग-II (राजपत्रित)के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1	पद का नाम :	कम्पयूटर प्रोग्रामर
2	पद (पदों) की सख्या :	01 (एक)
3	वर्गीकरण :	वर्ग– II (राजपत्रित)
4	वेतनमान :	i) नियमित पदधारी(पदधारियों) के लिए पे बैण्डः– ₹10300–34800 जमा ₹ 5000/– ग्रेड पे। ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:– स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 15,300/– प्रतिमास।
5	"चयन" पद अथवा "अचयन पद":	लागू नहीं।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष: परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा: परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है: परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन

–2/

		पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । **टिप्पण:** सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें की पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ:	**(क) अनिवार्य अर्हता(एँ):** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कम्पयूटर इंजीनियरिंग या कम्पयूटर विज्ञान इंजीनियरिंग या उपाधि के एक अनिवार्य घटक के रूप में प्रोग्रामिंग सहित सूचना प्रौद्योगिकी में बी0 टैक की उपाधि या एम0सी0ए0 । (2) सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर उपक्रम में हार्डवेयर और नेटवर्किंग के ज्ञान के साथ सॉफ्टवेयर विकास/डेटाबेस प्रशासन/परियोजना प्रबन्धन में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात पांच वर्ष का अनुभव। **(ख) वांछनीय अर्हता(एँ) :–** हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :	**आयु :** लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हताएँ:** लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	(i) **सीधी भर्ती की दशा में:** (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। (ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/<u>सैकण्डमैन्ट/स्थानातरण</u> द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
11	प्रोन्नति/ सैकण्डमैन्ट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड)	लागू नहीं।

—3/

	जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	
12	यदि विभागीय प्रोन्नति/ स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी सरंचना :	(क) **<u>विभागीय प्रोन्नति समितिः</u>** लागू नहीं। (ख) **<u>विभागीय स्थायीकरण समितिः</u>** जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15(क)	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :– (I) **<u>संकल्पनाः</u>** (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कम्पयूटर प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा : परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः** सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के

-4/

पश्चात्, अध्यापेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियाँ:–**

संविदा के आधार पर नियुक्त कम्पयूटर प्रोग्रामर को ₹ 15,300/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम(जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 459/–की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी**

सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) **चयन प्रकियाः**

संविदा नियुक्ति के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः–**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) **करारः–**

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात, इन नियमों से संलग्न **उपाबन्ध –"ख"** के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) **निबन्धन और शर्तें :**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹15,300/–प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 459/– (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन

वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान(समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा/होगी:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए

बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य पमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0–एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षणः सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों/ व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षाः सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

-7/

18 शिथिल करने की शक्तिः

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तिं(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध–"ख"

कम्प्यूटर प्रोग्रामर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले)हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री..................निवासी................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................. को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्पयूटर प्रोग्रामर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कम्पयूटर प्रोग्रामर के रूप में, ... से प्रारम्भ होने और......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मे रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 15,300/– प्रतिमास होगी।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान(समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान(समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

   अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश,चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य(डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

–2/

55

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पू लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अप हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य पमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ इ0पी0एफ0/सी0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियो की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में:

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)
2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:
1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)
2. ....
....
....
नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FDS-B(3)-1/2018 dated 29.6.20 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department.
***

No. FDS-B(3)-1/2018 Dated Shimla-2, 29th June, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer Programmer, Class-II (Gazetted), in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement.

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Computer Programmer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

By Order
Manoj Kumar
Additional Chief Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. FDS-B(3)-1/2018 Dated: 29th June, 2020

Copy to:

1. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 with reference to his letter No.1-5/2017-PSC-Part- dated 27.02.2020, alongwith a copy of the rules for information and record.
3. The Direcrtor, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh, Shimla-9

Sd/- 29.06.2020
(Suresh Chand Dogra)
Under Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph.2880850

57

"ANNEXURE

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPUTER PROGRAMMER, CLASS-II (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, HIMACHAL PRADESH

1	Name of Post:	Computer Programmer
2	Number of Post:	01(One)
3	Classification:	Class-II (Gazetted).
4	Scale of Pay:	(i) Pay Band for regular incumbents: ₹ 10300-34800+ ₹ 5000/- Grade Pay. (ii) Emoluments for Contract employee(s): ₹ 15,300/- per month (as per details given in Column No. 15-A.)
5	Whether "Selection" post or "Non selection Post":	Not Applicable
6	Age for direct recruitment:	Between 18 to 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies. Note:- Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the

		Employment Exchanges, as the case may be.
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):	(a) **Essential Qualification(s):** i) B.Tech. Degree in Electronic Engineering or Computer Engineering or Computer Science Engineering or Information Technology) with programming as an essential component of the degree or MCA from a recognized University. ii) Post qualification 05 years experience in Software Development/Database Administration/ Project Management with knowledge of Hardware and Networking in Government Department/ Public Sector Undertaking. (b) **Desirable Qualification(s) :** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):	Age Not applicable Educational Qualifications: Not applicable
9	Period of Probation, if any:	(i) **Direct recruitment:-** (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in the case of appointment on contract basis.
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11	In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made:	Not applicable
12	If a Departmental promotion/ confirmation Committee exists, what is its composition?	(a) **Departmental Promotion Committee:** Not Applicable (b) **Departmental Confirmation Committee:-** As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14	Essential requirement for a	A candidate for appointment to any service or post must be a

-3/

59

	direct recruitment:	citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in case of recruitment shall be made on the basis of interview/perso test or if the H.P. Public Service Commission or other recrui agency/authority, as the case may be, so consider necessary expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screeining test(objective type)/written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission /other recruiting agency/authority, as the case may be.
15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment	**Not**withstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- **(I). <u>CONCEPT</u> :** (a) Under this policy, the Computer Programmer, in the Department of Food Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis: Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended. **(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:-** The Secretary, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission. (c). The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules. **(II). <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS:</u>** The Computer Programmer, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ ₹ 15,300/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 459/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year. **(III).APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:** The Secretary, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, to the Government of Himachal Pradesh, will be the appointing

-4/

60

and disciplinary authority.

(IV).SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/ personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screeing test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V).COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time

(VI). AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII). TERMS & CONDITIONS:

(a). The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount ₹ 15,300/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as junior/selection scale etc. will be given.

(b). The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c). The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving

-5/

			children) during the entire service, in case of n. including abortion, on production of medical c. issued by the authorized Government Me[illegible] Offi. contract employee shall not be entitled for Medica. imbursement and LTC etc. No leave of any other k. except above is admissible to the contract appointee. Un-availed Casual leave, Medical leave and Special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year. (d). Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. (e). An official appointed on contract basis who has completed three years of tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. (f). Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical finess six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her. (g).Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rates as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

-7/

		(h) Provisions of service Rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules; Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in the case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16	Reservation :	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination :	Every member of the service shall pass a Departmental Examination prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from tim to time.
18	Powers to relax :	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or posts(s).

Annexure-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Computer Programmer and the Government of Himachal Pradesh through Secretary (Food, Civil Supplies & Consumer Affairs) to the Government of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this _____________day of______in the year_____Between Sh./Smt.-------------------S/o/D/oShri----------R/O_______________________

Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Secretary, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Computer Programmer on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Computer Programmer on contract basis for a period of one year commencing on day of .... and ending on the day of.................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.............. and information notice shall not be necessary:

   Provided that for extension/renewal of contract period the Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 15,300/- per month.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contractual Computer Programmer will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed Casual leave, Medical leave and Special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical

Contd..

grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical finess six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have to set their hands the day, month and year, first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ....

....

(Name & full Address)

: (Signature of FIRST PARTY)

2. ....

....

(Name and Full Address) **: (Signature of SECOND PARTY)**

***